<u>न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक</u>

प्रकरण संख्या 57/2020

मोहम्मद शोएब खॉन पुत्र सईदुद्दीन निवासी वार्ड नम्बर 21 गुलजार बाग टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 1-2-2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को दिनांक 30-10-2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1-यह है कि आपके कार्यालय की पत्रावली संख्या 107/2014 सरकार जरिए एस0एच0ओ0 अलीगढ़ बनाम खजानसिंह वगेरह व मोहम्मद शोएब इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी0आर0पी0सी0 की आदेशिका व इस्तगासा के वर्तमान में क्या स्थिति हे।

2-इस्तगासा का निर्णय हो गया है तो निर्णय की कॉपी मय रिकार्ड के उपलब्ध करावें।

3-इस इस्तगासे में आपके द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट मय रिकार्ड के उपलब्ध करावें।

4- इस इस्तगासे की समपूर्ण पत्रावली/रिकार्ड के प्रार्थी को उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को आवेदित सूचना समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध न करवाये जाने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रत्यर्थी से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में पत्र कमांक 970 दिनांक 28-12-2020 जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने तथा जवाब भिजवाने के तीन अवसर देने के उपरान्त पत्र कमांक 127 दिनांक 27-1-2021 से जवाब प्रेषित किया है जिसमे अंकित किया गया है कि चाही गई सूचना 2014 की है जो 7 वर्ष पुरानी है कार्यालय में रिकार्ड खोजने के बाद भी पत्रावली नहीं मिली है, पत्रावली मिलते ही आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा प्रेषित जवाव से प्रतीत होता है कि आवेदक को सूचना नही दी गई है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में बिन्दुवार सूचना/उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने योग्य सूचना निशुल्क उपलब्ध करावें। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] एंव [illegible] अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner